न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013–14 निगरानी R-2084-I/14 (6)

गोरधन पिता श्री दयाराम कुल्मी,
निवासी–ग्राम इकलेरा, तहसील बागली,
जिला देवास ––––––प्रार्थी

विरूद्ध

मनोहर पिता श्री मांगीलाल कुल्मी,
आयु–30 वर्ष निवासी–ग्राम इकलेरा, तहसील
बागली, जिला देवास –––––प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बागली जिल देवास के प्रकरण क्रमांक 7/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 31/05/2014 से दुखित होकर ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हरि पिता बाबू कुल्मी निवासी–इकलेरा तहसील बागली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागली जिला देवास में धारा 178 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत् एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 7/अ–27/1989–90 पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण का निराकरण दिनांक 04/06/1990 को किया गया था ।

02. यह कि, हरि पिता बापू की मृत्यु करीब 6–7 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं तथा न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के अनुसार प्रार्थी को प्राप्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 279 रकबा 2.473 हे., सर्वे नं. 281/1 रकबा 0.283 हे., सर्वे नं. 281/2 रकबा 0.421 कुल सर्वे नंबर 3 कुल रकबा 3.177 हे. पर जब से ही लगातार कृषि करता चला आ रहा है एवम् उसके आधिपत्य में उक्त कृषि भूमि बंटवारे के समय भी 12 वर्ष पूर्व से प्रार्थी के ही कब्जे

निरन्तर....2

आदि के हस्ता

गोरखनाथ बनाम [illegible]

(65)

R2084/D/14 ([illegible])

16.9.14

आवेदक की ओर से इसका प्रतिरोध
कोई उत्तर नहीं। सम्मन तामील पर
भी कोई जवाब जमा नहीं करवाई गई है।
पत्रों के [illegible] से अवलोकन
[illegible] किया।
[illegible] प्रतिवादी को
समाप्त किया जाता है।
[illegible] की ओर से एक
[illegible] [illegible] [illegible] प्रस्तुत।

[illegible signature] 16.9.14

[illegible signature]
मु.सू. आयुक्त